



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
बिलारी
211350030141626
043213017186

जारी दिनांक: 15/11/2021

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

SADAF SHARIF
SHARIF AHMAD
MEHSHAR JAHAN
मौहर्ला ठाकुरान ज़ामा मस्जिद के पास
बिलारी
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की मोमिन (अंसार) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **SADAF SHARIF** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंवं जो ३० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एंवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: मोहम्मद सरफराज, वाईफाई चौपाल जन सेवा केन्द्र

पद: मोहम्मद सरफराज, केन्द्र प्रमाणी

स्थान : 2 Bilari (MB) Ward No.2, बिलारी, बिलारी, बिलारी

दिनांक: 15/11/2021

हस्ताक्षर एवं मुहर

**DHARMENDRA
KUMAR
SINGH**

Digitally Signed
by
DHARMENDRA
KUMAR SINGH
O= PANCHAYATI
RAJ,
O= PANCHAYATI
RAJ, S= UTTAR
PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

बिलारी, मुरादाबाद

दिनांक: 15/11/2021